आदेश व रीडर

15.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत में अभिमत हेतु आपसी सुलह के रूप में मामले पर पेश। वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आमलाबाद में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वजो ~~[illegible]~~ की

की निम्न आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के साथ क्रय की गई ख.नं. 1212, 1221, 1225 किता 03 रकबा 17 बिस्वा भूमि है तब से वादी एवं प्रतिवादीगण। से 23 तक का कब्जा चला आ रहा है

वाद पत्र मे वर्णित आराजियात वादी द्वारा क्रय करने के बाद विक्रेताओ ने मौके कब्जा मौके पर दे दिया गया। कब्जा सौपने के बाद से आज तक काबिज है कुछ समय बाद विक्रेताओ की मृत्यु हो गई कुछ क्रेताओ के नाम वारिसान के नाम खाते मे अंकित हो गये है परन्तु मेरा नाम खाते मे अंकित नही हुआ है वर्तमान मे खाता विक्रेताओ के नाम पर ही चला आ रहा है। अतः उक्त वर्णित आराजियात का मै कानूनी हकदार हू मेरा नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे

अतः मुझ वादी को उक्त आराजियात मे प्रतिवादी सं. 1 से 23 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उक्त सम्बन्ध पर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई जिसमे पटवारी हल्का व I.L.R. ने जाहिर किया कि उक्त आराजियात पर हिस्से अनुसार साबू पिता नाथू गाडरी का कब्जा काश्त होकर काबिज है व लगभग 40 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है

वादी का वाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

आदेश

तहसीलदार हमीरगढ़ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम आमलीगढ़ की आराजी नम्बर 1212, 1221, 1225 खुल दिया जाए

[illegible]

उनवान

1. श्री नाथू पिता नाथू गाडरी निवासी आमलीगढ

बनाम वादी

1- श्री दयाराम पिता लहरू जाति गाडरी निवासी आमलीगढ
2 " कालू पिता फोरचन्द
3 " अमरा पिता ———— " ————
4 " लहरू पिता सूरजमल ———— " ————
5 " खेमा पिता नाथू ———— " ————
6 " रूपलाल पिता डालू ———— " ————
7 " घनश्याम पिता ———— " ————
8 मु. धापी पत्नी ———— " ————
9 श्री कालू पिता छोगा ———— " ————
10 " मोहन पिता ———— " ————
11 मु0 काली पुत्री ———— " ————
12 मु. लहरी पुत्री ———— " ————

दावा बाबत– 88, 89, 32क, एवं 188 R.T.A

मुकदमा नम्बर :– 22/16 P.T.

निर्णय दिनांक :– 15.5.17

वादी की ओर से वादी की व प्रतिवादी की ओर से — उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.5.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिया जाता है कि, ग्राम आमलीगढ के आराजी नम्बर 1212, 1221, 1225 कुल किता 03 कुल र0,ब0 17 बिस्वा मे हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 23 के साथ वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करे।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 15.5.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ